

राजस्थान सरकार
श्रम विभाग

क्रमांक:-एफ.14(13)(1)चुनाव/श्रम/विधि/2015/पार्ट-2/-7102

जयपुर, दिनांक: 20.04.2023

आदेश

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान द्वारा राज्य के नगरीय निकायों के उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर मतदान की तिथि दिनांक 07.05.2023 निश्चित की गई है। (कार्यक्रम की प्रति संलग्न है)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135(ख) के अनुसार मतदान के दिन किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोकसभा/विधान सभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जावेगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (ख) के प्रावधान राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 28 के अनुसार नगरीय निकायों के चुनावों के सम्बन्ध में भी लागू होते हैं। धारा 135 ख निम्न उद्धृत है:-

"135 ख- मतदान के दिन कर्मचारियों को सवैतन अवकाश की मंजूरी-

- (1) किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा अन्य किसी स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोकसभा या किसी राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जावेगा।
- (2) उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर किए जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी और यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यतया किसी ऐसे दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नहीं होगी तो इस बात के होते हुए भी, उसके ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी संदत्त की जाएगी, जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर न किए जाने की दशा में दी गई होती।
- (3) यदि कोई नियोजन उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, तो ऐसा नियोजन जुर्माने से, जो 500/- तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।
- (4) यह धारा किसी ऐसे निर्वाचक को लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के सम्बन्ध में जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा या सारवान हानि हो सकती है।"

अतः राज्य सरकार सम्बन्धित नगरीय निकायों के निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक/ वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के नियोजकों को उनके क्षेत्र में 'मतदान दिवस' दिनांक 07.05.2023 के लिए उनके संस्थान में कार्यरत सभी कामगारों को, जिनमें आकरिमक कामगार भी सम्मिलित है, सवैतनिक अवकाश प्रदान करने हेतु विनिर्दिष्ट करती है ताकि उनके द्वारा मतदान के अधिकार का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।


श्रम आयुक्त
राजस्थान, जयपुर

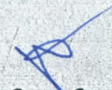
राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in Ph/FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक : एफ. 4(2)(3)नपा/रानिआ/ 2022/1471

दिनांक : 25/04/2023

प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, चुरू, धौलपुर, जयपुर, कोटा, पाली, सीकर, श्रीगंगानगर एवं टोंक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


(अपर्णा शर्मा)
सहायक सचिव